कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्यकार्यालय/ HEAD OFFICE

एन.बी.सी.सी सेंटर, ब्लॉक-2, ग्राउंड फ्लोर- 4th फ्लोर, ईस्ट किदवई नगर, नईदिल्ली -110023

NBCC Centre, Block-2, Ground Floor- 4th Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

फाइल सं.एचआरडी/58/2017/एनएसडीएल/1524 दिनांक: 06 मार्च 2026

सेवा में,

सभी अपर कें.भ.नि.आ.(मुख्यालय)/ निदेशक (पीडीनास)
सभी अपर कें.भ.नि.आ.(अंचल)
सभी अपर कें.भ.नि.आ. (प्र.से.प्र), मुख्यालय / सभी अपर कें.भ.नि.आ.(आं.प्र.सं) सभी क्षे.भ.नि.आ/ क्षेत्रीय कार्यालयों/ जिला कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी

विषय: कुछ विशेष श्रेणी के मामलों में सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत कवरेज के संबंध में ।

संदर्भ: दिनांक 22.10.2020 का परिपत्र संख्या एचआरडी/58/2017/एनएसडीएल

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय का संदर्भ लें। इस संबंध में, विभिन्न कार्यालयों से अनेक संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं जिनमें कर्मचारियों की मृत्यु या अन्य पात्र मामलों में लाभों के भुगतान हेतु एनपीएस पोर्टल पर नोडल बैंक के विवरण को अद्यतन करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संदर्भ में, यह देखा गया है कि दिनांक 22.10.2020 के उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों का पालन किए बिना ऐसे अनुरोध मुख्यालय को भेजे जा रहे हैं।

3. तदनुसार, पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, इस संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं:

फील्ड कार्यालयों और मुख्यालय से संबंधित मामलों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

क्रम.सं.	**फील्ड**	**लेखा संख्या**
चरण 1	कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान की कुल राशि, उस पर मूल्य वृद्धि के साथ, पहले फील्ड कार्यालय से जुड़े मामलों के लिए संबंधित फील्ड कार्यालय के लेखा संख्या 2 में और मुख्यालय से जुड़े मामलों के लिए मुख्यालय के लेखा नंबर 4ए में जमा की जाएगी।	लेखा संख्या 2/4ए, जैसा भी मामला हो

चरण 2 इसके बाद, कर्मचारी के अंशदान और उस पर प्राप्त होने वाली मूल्य वृद्धि की राशि को निम्न प्रकार से हस्तांतरित किया जाएगा:		
चरण 2 (ए)	मृत्यु न होने की स्थिति में, यह राशि कभनिसं मुख्यालय के लेखा संख्या 8 में हस्तांतरित की जाएगी और अद्यतन लाभ के साथ कर्मचारी के व्यक्तिगत एसपीएफ खाते में लेखा प्रविष्टि दर्ज की जाएगी	लेखा संख्या 8: 10996708436 आईएफएससी कोड: एसबीआईएन0000300 नाम: कर्मचारी भविष्य निधि निधि 8
चरण 2 (बी)	मृत्यु की स्थिति में, यह राशि पीएफआरडीए (निकास एवं प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार नामित व्यक्ति/विधिक वारिस को हस्तांतरित की जाएगी ।	नामित व्यक्ति का खाता।
चरण 3	नियोक्ता का अंशदान अर्थात् बोर्ड का अंशदान और उस पर होने मूल्य वृद्धि की राशि, जैसे कि दिनांक 22.10.2020 के परिपत्र में पहले से उल्लिखित है , कभनिसं के लेखा संख्या 9 (पेंशन-सह-ग्रेच्युटी निधि खाता) में हस्तांतरित की जाती रहेगी।	लेखा संख्या 9: 10996708447 आईएफएससी कोड: एसबीआईएन0000300 नाम: कर्मचारी भविष्य निधि निधि 9

4. इसके अतिरिक्त, हस्तांतरित राशियों के मिलान को सुनिश्चित करने के लिए, एक लेखे से दूसरे लेखे में राशि हस्तांतरित करते समय उचित विवरण दिया जाना चाहिए। राशि हस्तांतरित करते समय टिप्पणी कॉलम में *"पेंशन रूपांतरण_कर्मचारी का नाम_ईआईडी"* का मानक विवरण दिया जाना चाहिए। साथ ही, ऐसे सभी मामलों में राशि हस्तांतरण से संबंधित सभी विवरणों का उल्लेख करते हुए एक स्व-निहित नोट ईमेल के माध्यम से मुख्यालय के बैंकिंग प्रभाग को भेजा जाना चाहिए।

5. तदनुसार, सभी आंचलिक कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों को उपर्युक्त निदेशों का सख्ती से पालन करने का निदेश दिया जाता है।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

13/03/2026.

(ओम प्रकाश सिंह)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I (प्र.से.प्र)(लिंक अधिकारी)

प्रतिलिपि :

I. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के प्रधान निजी सचिव
II. वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी और मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव
III. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, एनडीसी को वेब संचालन हेतु